



हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर या तारीख  
अहकाम जो इस हुक्म  
का तामिल में जारी हुए ।

का जमान करने की आज्ञा की गयी थी।  
चमकी देता है अतः पुनः पुनः दिनांक 01/5/16  
के आदेशों को लागू करना मूल वाद का फल  
किया जावे लकिन वादवायु न्याय का अर्थ  
हलका-तरा नही हो लकिन यदि ऐसा नही  
किया जाता है तो प्रकरण में कानूनी पीसुदगीया  
बढेगी तथा अनवश्यक नुसखे उपन होगे  
जिसे रोकना जाना था। अतः अतः वकील  
प्रार्थी के निवेदन को सुना गया तथा मनन  
किया गया पुनः प्रकरण में पुनः दिनांक  
01/5/16 को अज्ञात को पंद्रह (15) दिवस  
अथवा जवाब पेश होने तक राजस्व रोड  
की सेवा क्विटे बनाये रखने हेतु पावद  
किया गया वा किन्तु आदिनांक तक जवाब  
पेश नही किया गया है अतः प्रार्थी अधिकतर  
का निवेदन स्वीकार किया जाकर हलका-तरा  
प्रकरण में दिनांक 01/5/16 का आदेश लागू  
मूल वाद का फल किया जाता है तथा  
हलका-तरा प्रकरण (T.I) को मूल वाद के साथ  
नली किया जाता है परन्तु निमित्त की जाकर  
नम्बर ले कम है  
मिथि आज दिनांक 23/12/19 को कुले न्यायालय  
में सुनाया गया

सहायक न्यायाधीश  
मिथि न्यायालय  
मिथि न्यायालय

